

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:-

- 1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
- 2-स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी ।
- 3-विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं करेगे ।
- 4-स्कूल में भोजन/मिड-डे भील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा ।
- 5-वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष उपकरणों का निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार में जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर उनकी कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन शिखर शिशु सदन मौ0 आर्य नगर धामपुर, तहसील जनपद-बिजनौर को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

(वाई0 बी0 द्विवेदी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद
मुरादाबाद ।

प्रतिलिपि:

- 1-सयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को कृपया सूचनार्थ ।
- 2-सयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादस मण्डल मुरादाबाद को कृपया सादर सूचनार्थ ।
- 3-अग्निशमन अधिकारी नगीना बिजनौर को सूचनार्थ ।